



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227296
CG-DL-E-01062021-227296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1960]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2113(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-119D के किमी. 109.300 किमी. से 123.300 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-119D तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	बिहार	पटना	पटना रूरल	1 मिर्जापुर

राजेश गुप्ता, निदेशक

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Patna	109.3KM To 123.3KM	BIHAR	PATNA	Patna Rural	1
						2
						3

						4	Sadullahpur
						5	Muhammadpur Barantpur
						6	Chimo Chak
						7	Hiranandpur
					Fatuha	1	Daulatpur
						2	Rukunpur
						3	Bhagwanpur
						4	Bali
						5	Najibullah Chak
						6	Usfa
						7	Saidanpur
						8	Rabia Chak
					Patna Sadar	1	Nasirpur Tajpur
						2	Sabalpur
						3	Salehpur kasara

[F. No. 11112/1/LA-Patna/Bharatmala/PIU- Gaya/1/2020/]
RAJESH GUPTA, Director